शोध मंथन Vol. XIII No.I Jan.-Mar.2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

कन्या भ्रूण हत्या : एक निन्दनीय कृत्य

डॉ० सीमा रानी
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
दयानन्द डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद
वर्तमान में सदस्य, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश

प्राप्तिः 07.03.2022
स्वीकृतः 16.03.2022

अभिनव शर्मा
शोधार्थी
एम०जे०पी०आर०यू० बरेली
ईमेलः *abhinav.moradabad@gmail.com*

सारांश

मनुस्मृति में उल्लेखित है "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'' अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का विचरण होता है, परन्तु धीरे–धीरे नारी का स्वरूप बदलता गया। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है–''नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में'' वहीं महाकवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा– "अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में पानी'' यह वह स्वर्णिम काल था जब नारियों को शिक्षा की सुविधा तथा स्वतंत्रता दी जाती थी। समाज में उनका अपना विशिष्ट स्थान था। उसी समय में अपाला, पाणिनी, घोसा जैसी विद्वान नारियाँ हुईं जिन्होंने पुरूषों को शास्त्रार्थ में भी पराजित किया। कालीदास की पत्नी विद्योत्तमा उनसे कहीं अधिक विद्वान थी। परन्तु धीरे–धीरे परिस्थितियाँ बदली बाहरी आक्रमणों एवं मुस्लिम शासकों के आने से जो अत्याचार बढ़ा पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा जसी कुरीतियों ने जन्म लिया। लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर घर की चाहरदीवारी में कैद रखा जाने लगा वह संतान की नर्स एवं पुरुष की सेविका मात्र बनकर रह गई। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की रचना ईश्वर ने की है अतः सभी को जीने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए फिर बेटियों के प्राण गर्भ में ही हर लेना कहाँ का नियम है?

प्रस्तावना

भ्रूण हत्या का अर्थ है संसार में कदम रखने से पूर्व ही गर्भ में बीज को समाप्त कर देना। यह एक घृणित एवं निन्दनीय कृत्य है जबकि **कन्या भ्रूण हत्या–** जब किसी महिला के गर्भ में पल रहे शिशु का जन्म होने से पहले लिंग जाँच करवाया जाये और जाँच उपरान्त कन्या शिशु की पुष्टि होने पर श्वांस लेने से पूर्व ही उसे बोझ समझ कर कोख में ही मार दिया जाता है अर्थात गर्भपात करा दिया जाये। यह कृत्य वास्तव में एक जघन्य अपराध है, अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, शहरी हो अथवा ग्रामीण बेटियों को लेकर प्राचीन काल से ही हमारी सोच पर प्रश्न चिन्ह लगा है? सामान्य जन दहेज से बचने के लिए भी इस कु–कृत्य में शामिल हो जाता है। यदि हमें नारी विहीन समाज की संकल्पना को साकार करना है तो विवाह, परिवार जैसे विकल्पों को त्यागना होगा। छोटा परिवार, कम आय, शिक्षा, पारिवारिक स्तर, दहेज प्रथा जैसे आयामों को का हवाला देकर माँ को ही कन्या की हत्या के लिए उकसाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा अनाचार है।

कन्या भ्रूण हत्या सामान्यतः मानवता और समस्त नारी समाज के विरुद्ध सबसे जघन्य एवं घृणित अपराध है। पुत्र की चाहत और दहेज प्रथा ने ऐसी विकराल स्थिति को जन्म दिया है जहाँ

बेटी को जन्म लेने से किसी भी कीमत पर रोका जाता है। इसलिए समाज के अग्रणी लोग माँ के गर्भ में ही कन्या की हत्या करने का सबसे गंभीर अपराध करते हैं। इस प्रकार के अनाचार में वैज्ञानिक तकनीकों का दुरुपयोग कर गर्भ में लिंग परीक्षण के बाद बालिका शिशु को मारना कन्या भ्रूण हत्या है। पहले पुत्र पाने की परिवार में बुजुर्ग सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने के लिये जन्म से पहले बालिका शिशु को गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये सभी प्रक्रिया पारिवारिक दबाव खासतौर से पति और ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा की जाती है। गर्भपात कराने के पीछे सामान्य कारण अनियोजित गर्भ है जबकि कन्या भ्रूण हत्या परिवार द्वारा की जाती है। भारतीय समाज में अनचाहे रुप से पैदा हुई लड़कियों को मारने की प्रथा सदियों से है। लोगों का मानना है कि लड़के परिवार के वंश को जारी रखते हैं जबकि वो ये बेहद आसान सी बात नहीं समझते कि दुनिया में लड़कियाँ ही शिशु को जन्म दे सकती हैं, लड़के नहीं। जबकि स्कन्द पुराण में भी कहा गया है–

दशपुत्रसमा कन्या दशपुत्रान्प्रवर्द्धयन्।
यत्फलं लभते मर्त्यस्तल्लभ्यं कन्ययैकया।।

अर्थात– ''एक पुत्री दस पुत्रों के समान है। कोई व्यक्ति दस पुत्रों के लालन–पालन से जो फल प्राप्त करता है वही फल केवल एक कन्या के पालन–पोषण से प्राप्त हो जाता है।'' वहीं महाभारत में तो ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान श्रीकृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा महापाप और अपराध कोई है तो वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्ति के पश्चात द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, गर्भस्थ शिशु की हत्या से भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हो गये थे। भगवान श्रीकृष्ण ने उसी समय यह घोषणा करते हुए कहा था कि– अश्वत्थामा का पाप अन्य सभी पापों में सबसे बड़ा महापाप है, क्योंकि अश्वत्थामा ने एक अजन्मे शिशु की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को देते हुए अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन कर श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और भीषण कष्ट प्राप्त करोगे।

कन्या भ्रूण हत्या के मुख्य कारण

प्राचीन रूढ़िवादी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक नीतियों और निम्न स्तर की मानसिकता के कारण किया जा रहा कन्या भ्रूण हत्या एक अनैतिक कार्य है। भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या के निम्न कारण हैं–

1. कन्या भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण कन्या शिशु पर बालक शिशु को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि पुत्र को घर में कमाने वाला अर्थात आय का मुख्य स्त्रोत माना जाता है जबकि लड़कियां को केवल उपभोक्ता समझा जाता है।

2. दहेज भारतीय समाज की वह भयावह समस्या है जो भारत में अभिवावकों के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती है, जो लड़कियां पैदा होने से रोकने का मुख्य कारण है।

3. भारतीय पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न है। अभिवावक मानते हैं कि पुत्र समाज में उनके नाम को रोशन करेंगे। जबकि लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लिये होती हैं साथ ही यह भी गलतफहमी है कि लड़के अपने अभिवावकों की सेवा करते हैं जबकि लड़कियाँ पराया धन होती है।

4. गैर–कानूनी लिंग परीक्षण और बालिका शिशु की समाप्ति के लिये भारत में दूसरा बड़ा कारण गर्भपात सम्बन्धी उदार कानून को मान्यता प्राप्त होना है।

5. आधुनिक तकनीकी जहाँ प्रगति का मार्ग खोलती है वहीं इसकी उन्नति ने कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है। वैज्ञानिक तकनीकों के अविष्कारों के कारण लिंग–परीक्षण कर उनको नष्ट करना है।

कन्या भ्रूण हत्या के दूरगामी परिणाम

कन्या भ्रूण हत्या ने बुराइयों की एक श्रृंखला को उत्पन्न कर दिया है। लगभग पिछले तीन दशकों में बड़े पैमाने पर कन्या भ्रूण हत्या के दुष्प्रभाव से लिंगानुपात में असंतुलन और विवाह योग्य युवकों के लिए वधुओं की कमी परिणाम स्वरूप सामने आयी है। असके अतिरिक्त जनसंख्या विशेषज्ञों मतानुसार आगामी वर्षों में विवाह हेतु योग्य महिलाओं की संख्या में कमी आएगी, इसलिए पुरुष कम उम्र की महिलाओं से विवाह करेंगे जिससे जन्मदर में वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर भी ऊँची हो जाएगी। लड़कियों की बढ़ती अपहरण तथा बलात्कार की घटनाएं भी भी इसी समस्या का परिणाम हैं। अविवाहित पुरुषों की बढ़ती संख्या वाले समाज के अपने खतरे हैं। यौनकर्मी के तौर पर महिलाओं अधिक शोषण होने की सम्भावना है। यौन शोषण और बलात्कार इसके स्वाभाविक परिणाम हैं। पिछले कुछ सालों से यौन अपराधों का तेजी से बढ़ता ग्राफ असमान लिंगानुपात के परिणामों से जुड़ा हुआ नजर आता है।

कन्या भ्रूण हत्या के प्रतिरोध के लिए सुझाव

- कन्या भ्रूण हत्या जैसी विकराल समस्या का समाधान सिर्फ कानून बना देने से होने वाला नहीं है, चूँकि महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार सामान्य–सी बात है सामान्य तौर पर महिलाओं के प्रति उपेक्षा हमारे समाज की नसों में भरी है। विभिन्न कानूनों के बावजूद समाज में पुरुशों की श्रेष्ठता की गलत धारणा समाज के लिए घातक है। सामान्य जनमानस को महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध भेदभाव रखने वाली रूढ़िवादी प्रथाओं के उन्मूलन के लिए संवेदनशील बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

- असंतुलित होते लिंग अनुपात को सुधारने की आवश्यकता है और इसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों, मीडिया, पत्रकारों, चिकित्सकों, महिला संगठनों, सामाजिक संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों और जनता को साथ खड़े होने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कन्या भ्रूण हत्या विरोधी कानून पूरे तरीके से और कारगर ढंग से लागू हो पाएं हैं अथवा नहीं। शैक्षिक अभियानों और प्रभावी कानूनी क्रियान्वयन के द्वारा आम लोगों के मन में गहराई से बैठी महिला और कन्या विरोधी रूढ़िवादी मानसिकता और कुप्रथाओं को दूर किया जा सकता है। इस संबंध में धार्मिक प्रचारकों को भी आगे आना चाहिए। उन्हें धर्मग्रंथों के सम्बन्ध में भ्रांतियों के बारे में स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए और तार्किक, वैज्ञानिक, और मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। पारंपरिक रूप से पुत्र के जन्म तक सीमित धार्मिक कर्मकांडों को बेटी के सन्दर्भ में भी विस्तृत करना चाहिए।

- केन्द्र सरकार तथा राज्यों की सरकारों द्वारा कन्याओं के लिए अनेकों योजनाएं जारी की गई हैं जैसे कि कन्या के जन्म पर माता–पिता को सहायता राशि उपलब्ध कराना, स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, कुछ जमा पॉलिसी जिनमें किस्तों में भुगतान किया जाता है जो कन्या के विवाह के समय परिपक्व होती हैं, इत्यादि। निचले स्तर पर स्थानीय पंचायतों को भी कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। स्थानीय नेताओं को अपने क्षेत्र के शिक्षित लोगों को जागरूक करने तथा सामान्य जलता को शिक्षित करने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोगों का सबलीकरण हो।

- कन्या भ्रूण हत्या विरोधी अभियानों के नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका अग्रणी होनी चाहिए। इस प्रकार के घषणित कृत्य की भयावहता और गंभीरता के बारे में मीडिया में व्यापक प्रचार

होना चाहिए। इस कृत्य में संलग्न लोगों की सूचना देने वालों प्रोत्साहित करना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग, गैर–सरकारी संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मौजदा कानूनों को समुचित ढंग से लागू करने के लिए बेहतर योजनायें बनानी चाहिए और समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन और इन्टरनेट पर व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार कर अभियान चलाने चाहिए।

- चिकित्सा क्षेत्र और इसके विभिन्न संगठनों जैसे भारतीय चिकित्सा संगठन, प्रसूति विशेषज्ञ तथा स्त्री रोग विशेषज्ञों के संगठनों, रेडियोलाजिस्ट एसोसिएशन इत्यादि के साथ चिकित्सा जगत को मानवता के व्यापक हित के लिए अपने निजी स्वार्थों को त्यागना चाहिए। चिकित्सकों के लिए एक मजबूत आचार संहिता बनाने की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम,1956, चिकित्सा परिषद् की नैतिक आचार संहिता, 1970 को वर्तमान कानूनों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए संशोधित किया जाना चाहिए।
- सर्वाधिक आवश्यक यह है कि महिलाएं जो जननी हैं उनके ऊपर बेटा पैदा करने के अनावश्यक दबाव से मुक्त करना चाहिए। चाहे लड़का हो अथवा लड़की, प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ्य रूप से जन्म लेने का अधिकार है और यह माता–पिता की भी जिम्मेदारी है कि वे शिशु को उसके उत्तम विकास के लिए सुरक्षित एवं देखभाल से भरा वातावरण प्रदान करें। समस्त महिलायें, चाहे वो माँ हों अथवा सास, सभी को अपने स्तर पर इस दुर्वव्यवहार को रोकना चाहिए। हमें अपनी बेटियों का पालन–पोषण बेटों के समान करना चाहिए और पुरानी धारणाओं को खारिज करना चाहिए कि लड़कियों की शिक्षा केवल विवाह के लिए ही काम आती है। दुनिया का सामना करने के लिए शिक्षा एक हथियार है। भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या की गंभीर चुनौती को रोकने के लिए हमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा।

सरकार ने देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इसमें जागरुकता पैदा करने और विधायी उपाय करने के साथ–साथ महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक रूप से अधिकार संपन्न बनाने के कार्यक्रम शामिल हैं। इनमें से कुछ उपाय नीचे दिए गए है–

- गर्भ धारण करने से पहले और बाद में लिंग चयन रोकने और प्रसवपूर्व निदान तकनीक को नियमित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक कानून, गर्भधारण से पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर रोक) कानून 1994 में लागू किया। इसमें 2003 में संशोधन किया गया। सरकार इस कानून को प्रभावकारी तरीके से लागू करने में तेजी लाई और उसने विभिन्न नियमों में संशोधन किए जिसमें गैर पंजीकृत मशीनों को सील करने और उन्हें जब्त करने तथा गैर–पंजीकृत क्लीनिकों को दंडित करने के प्रावधान शामिल है। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड उपकरण के इस्तेमाल का नियमन केवल पंजीकृत परिसर के भीतर अधिसूचित किया गया। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर एक जिले के भीतर अधिकतम दो अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर ही अल्ट्रा सोनोग्राफी कर सकता है। पंजीकरण शुल्क बढ़ाया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे अधिनियम को मजबूती से कार्यान्वित करें और गैर–कानूनी तरीके से लिंग का पता लगाने के तरीके रोकने के लिए कदम उठाएं। माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे लिंग अनुपात की प्रवृति को उलट दें और शिक्षा और अधिकारिता पर जोर देकर बालिकाओं की अनदेखी की प्रवृत्ति पर रोक लगाएं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा है कि वे इस कानून को गंभीरता से लागू

करने पर अधिकतम ध्यान दें। पीएनडीटी कानून के अंतर्गत केंद्रीय निगरानी बोर्ड का गठन किया गया और इसकी नियमित बैठकें कराई जा रही हैं।

- वेबसाइटों पर लिंग चयन के विज्ञापन रोकने के लिए यह मामला संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष उठाया गया। राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया और अल्ट्रा साउंड निदान सुविधाएं के निरीक्षण में तेजी लाई गई। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में निगरानी का कार्य किया गया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कानून के कार्यान्वयन के लिए सरकार सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दे रही है।
- राज्यों को सलाह दी गई है कि इसके कारणों का पता लगाने के लिए कम लिंग अनुपात वाले जिलों/ब्लाकों/गांवों पर विशेष ध्यान दें, उपयुक्त व्यवहार परिवर्तन संपर्क अभियान तैयार करे और पीसी और पीएनडीटी कानून के प्रावधानों को प्रभावकारी तरीके से लागू करे।
- धार्मिक नेता और महिलाएं लिंग अनुपात और लड़कियों के साथ भेदभाव के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में षामिल हैं। भारत सरकार और अनेक राज्य सरकारों ने समाज में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। इसमें धनलक्ष्मी जैसी योजना शामिल है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2011 के दौरान देश में कन्या भ्रूण हत्या के कुल 132 मामले दर्ज किए गए। इस सिलसिले में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 58 के खिलाफ आरोप–पत्र दायर किया गया और 11 को दोशी ठहराया गया।

सन्दर्भ

1. अग्रवाल, चन्द्रमोहन. भारतीय नारी, विविध आयाम, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो।
2. मनुस्मृति (3/56)
3. मिश्रा, डॉ0 उर्मिला प्रकाशन. (1987). प्राचीन भारत में नारी।
4. सिंह, डॉ0 श्रीमती मतीतारा.. कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध।
5. Sitaram., Shashikala. (2011). June12, Boon Economy Without Women?, The Hindu, New Delhi. Pg. **14.**
6. Vishwanath, L.S. (2001). Sep 1, Female Foeticide and Infanticide, Economic Political Weekly, Mumbai. Pg. **3411-3412.**
7. (2011). May28, Missing Daughters, The Hindu, New Delhi, pp Editorial. Save the Girl Child, http://www.indianchild.com/girlchild/save-the-girl-child.htm. access on 02- 04-2012.
8. Sutherland, E.H. and D.R. Cressey. (2011). Principles of Criminology, Surjeet Publications, New Delhi. Pg. **3,4.**
9. Zaidi, Zoya. (2006). Female Foeticide in India, http://www.sikhspectrum.com/052006/foeticide.htm, Accessed on 04-05-2012..